



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
 (A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. GNC/5/2019/STGUP/ATOTH/RU-I

दिनांक: 06-1-2020

सिटिंग नोटिस

1 पुलिस महानिदेशक,
 उत्तर प्रदेश सरकार,
 लखनऊ
 (उत्तर प्रदेश)

विषय: अनुसूचित जनजाति के परिवार पर अत्याचार तथा जानमाल के सुरक्षा के संबंध में- श्री गोपाल नारायण चौधरी, मौजा- हरदी डाली, तहसील व थाना- नौतनवा, जिला- महाराजगंज, (उत्तर प्रदेश) का अभ्यावेदन।

संदर्भ: 1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार पत्रांक: डीजी- माप्रा- अजजा(1)/201-(महाराजगंज) दिनांक 06.06.2019
 2. आयोग के संमसख्यक पत्र दिनांक 20.9.2019

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरणों में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग के मुख्यालय, छठीं मजिल, लोक नायक भवन, नई दिल्ली-3 में दिनांक **17/1/2020 को 5:00 बजे** सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय उपाध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(एस. पी. मीना)

सहायक निदेशक

दूरभाष-011 24641640